

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

(रामरतन सौकरिया, आर.ए.एस. द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या

18 / 2025

प्रविष्टि दिनांक

22.05.2025

जीसीएमएस नं०

138 / 2025

1. रमेश पुत्र रामदेव जाति गुर्जर निवासी कंवरपुरा (निवारिया) तह. देवली जिला टोंक
2. हंसराज पुत्र रामदेव जाति गुर्जर निवासी कंवरपुरा (निवारिया) तह. देवली जिला टोंक

.....अपीलांटस

बनाम

1. तहसीलदार देवली, जिला टोंक राज०
2. जमनालाल पुत्र बंशीदास वैष्णव निवासी कंवरपुरा तहसील दूनी जिला टोंक
3. कमलेश दास पुत्र महावीर दास वैष्णव निवासी कंवरपुरा तह० दूनी जिला टोंक

.....रेस्पोडेण्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 विरुद्ध निर्णय  
तहसीलदार देवली दिनांक 17.01.2025

- उपस्थिति : (1) श्री प्रेमचन्द जैन, अभिभाषक अपीलान्टस  
(2) श्री मजहर आलम, राजकीय परोकार रेस्पोडेण्ट नं. 1  
(3) श्री योगेश व्यास, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट सं. 2 व 3

निर्णय

दिनांक ...11.11.2025

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार देवली ने अपने आदेश दिनांक 17.01.2025 के द्वारा अपीलान्टस को आराजी खसरा नम्बर 524 रकबा 0.39 हेक्टैयर किस्म बारानी 1 मंदिर माफी की भूमि वाके ग्राम कंवरपुरा तह. देवली पर फसल काशत कर अनाधिकृत कब्जा करने का दोषी मानते हुए अपीलांटस को भूमि से बेदखल करने, निर्धारित वार्षिक लगान 3.12 रु. का 50 गुणा जुर्माना कुल 156 रु. जमा कराने तथा फसल नीलाम करने का निर्णय पारित किया है। अपीलान्टस ने तहसीलदार देवली के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए समझौते की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।



बतिरिक्त जिला कलेक्टर  
टोंक

प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम पर अभिभाषक अपीलान्टस एवं राजकीय परोकार, अभिभाषक रेस्पोजेण्टस की बहस सुनी गई। न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार कर मूल अपील में उभयपक्ष को सुना गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्टस ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय विधि विधान एवं वास्तविक तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। खसरा नं. 524 ग्राम कंवरपुरा तह. देवली राजकीय भूमि या चरागाह भूमि नहीं है, बल्कि यह राजस्व रिकॉर्ड में गलत रूप से मंदिर माफी के रूप में दर्ज की हुई है, तहत कानून धारा 91 के अन्तर्गत रेस्पोजेण्ट को केवल सिवायचक चरागाह भूमि के सम्बन्ध में धारा 91 के तहत निर्णय करने का अधिकार प्राप्त है। भूमि माफी मंदिर की होने पर राज. टिनेन्सी एक्ट की धारा 183 के अन्तर्गत नियमित वाद प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी द्वारा ही निर्णय पारित किया जा सकता है, इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय क्षेत्राधिकार विहीन होने से चलने योग्य नहीं है।

वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा खातेदारी की घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राज तथा स्थायी निषेधाज्ञा का दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली के यहां विचाराधीन है, वर्तमान में उक्त भूमि की खातेदारी माफी मंदिर के नाम अंकित की गयी है जबकि यह भूमि किसी माफी मंदिर, मूर्ति या ठाकुर जी के नाम या उनकी खुद काशत की भूमि नहीं है, बल्कि इस भूमि पर राज. टि. एक्ट तथा जागीर एक्ट लागू होने से पहले अपीलान्ट के पूर्वजों की कब्जे काशत की भूमि रही है, जिनमें स्वतः ही उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार निहित हो चुके थे, पहले अपीलान्ट के पूर्वजों का तथा उनके बाद आज तक अपीलान्ट का काशतकार के रूप में कब्जा चला आ रहा है, इन्होंने किसी प्रकार मंदिर की भूमि या सरकारी भूमि पर नाजायज कब्जा या अतिक्रमण नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रश्नों पर कोई ध्यान नहीं दिया इस कारण उक्त निर्णय चलने योग्य नहीं है।

अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार देवली का निर्णय दिनांक 17.01.2025 को निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलान्टस के विरुद्ध की गयी कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 राज. लेण्ड रेवेन्यू एक्ट समाप्त कर ड्रॉप की जावें। अभिभाषक ने अपने कथनों की पुष्टि में न्यायिक दृष्टांत RRT 2005 (1) 253 व RRD 1984 283 की प्रति पेश की।

अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय परोकार ने कथन किया कि अपीलान्ट को विधि अनुसार जरिये नोटिस तलब किया गया है। नोटिस पर अपीलान्टस की प्रोपर तामिल हुई है। अपीलान्टस जरिये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ था। अतिक्रमी ने अवैध रूप से आराजी खसरा नम्बर 524 रकबा 0.39 हेक्टैयर किस्म बरानी 1 मंदिर माफी की भूमि वाके ग्राम कंवरपुरा तह. देवली पर फसल काशत कर कब्जा कर रखा है। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 3(2) राज.



ADL  
बदरिस्त चिका फलेरट  
दोष

-6/2007/पार्ट/5 दिनांक 12.09.2018 के द्वारा संबंधित तहसीलदार को मन्दिर माफी की भूमि संबंधी अतिक्रमण को धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही करने के अधिकार दिये गये हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अपील अपीलांत खारिज की जावें। राजकीय परोकार ने अपने कथन की पुष्टि में उक्त परिपत्र दिनांक 12.09.2018 की प्रति पेश की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. सं. 2 व 3 ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि माफी मन्दिर की भूमि है जिसके सम्बन्ध में प्रार्थीगण ने जिला कलेक्टर टोंक के समक्ष उक्त भूमि से अतिक्रमण हटाये जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर तहसीलदार देवली ने धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए अपीलधीन निर्णय से अतिक्रमियों को बेदखल किया था एवं मौके पर रेस्पो. सं. 2 व 3 को कब्जा संभलवाया था। रेस्पो. सं. 2 व 3 को उक्त भूमि पर कब्जा संभलाये जाने के पश्चात पुनः अपीलांत द्वारा कब्जा कर लिया गया है। इस प्रकार अपीलांत मन्दिर माफी की जमीन पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 3(2) राज.-6/2007/पार्ट/5 दिनांक 12.09.2018 के द्वारा संबंधित तहसीलदार को मन्दिर माफी की भूमि संबंधी अतिक्रमण को धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही करने के अधिकार दिये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही एवं विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलांत खारिज की जावें।

हमने अभिभाषक अपीलान्त, राजकीय परोकार व अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 2 व 3 की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है नोटिस पर अपीलांत की प्रोपर तामिल हुई है। अपीलांत जरिये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट से स्पष्ट हैं कि अतिक्रमी ने अवैध रूप से आराजी खसरा नम्बर 524 रकबा 0.39 हेक्टेयर किस्म बारानी 1 मंदिर माफी की भूमि वाके ग्राम कंवरपुरा तह. देवली पर फसल काशत कर अनाधिकृत कब्जा कर रखा है। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 3(2) राज.-6/2007/पार्ट/5 दिनांक 12.09.2018 के द्वारा संबंधित तहसीलदार को मन्दिर माफी की भूमि संबंधी अतिक्रमण को धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही करने के अधिकार दिये गये हैं। अभिभाषक अपीलांत द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत RRT 2005 (1) 253 व RRD 1984 283 प्रकरण पर चस्या नहीं होते हैं। राज्य सरकार के परिपत्र से स्पष्ट हैं कि तहसीलदार मन्दिर माफी की भूमि पर धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की कार्यवाही करने के लिए अधिकृत हैं।



बतिरिक्त जिला कलेक्टर  
टोंक

उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचन के आधार पर स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.01.2025 सही है एवं इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलाण्टस खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार देवली का निर्णय दिनांक 17.01.2025 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11/12/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(रामरतन सीकरिया)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,  
टोंक